प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड
'चयन भवन', मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल-462011
Professional Examination Board
"Chayan Bhawan", Main Road No. 1, Chinar Park (East), Bhopal-462011
Phone : +91-755-2578801-02-03-04, Fax : +91-755-2550498 E-mail : vyapam@mp.nic.in, Website : www.peb.govt.in

क्रमांक-पी.ई.बी./5-प-1/339/2012/ **2191** /2016 भोपाल, दिनांक : 30.09.2016

// आदेश //

मण्डल द्वारा दिनांक 16.09.2012 को आयोजित की गई सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग एवं प्लाटून कमाण्डर की पुलिस भर्ती परीक्षा वर्ष 2012 में ओ.एम.आर. उत्तरशीट में कथित तौर पर गोले काले एवं अनुचित साधनों का उपयोग कर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध एस.टी.एफ. की रिपोर्ट के आधार पर व्यापम द्वारा आदेश क्रमांक/व्यापम/5-प-1/3250/2014 दिनांक 23.05.2014 के द्वारा 11 अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम निरस्त किये गये थे । माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 8116/2014 एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2014 के अनुसार मण्डल को पुन: जॉच करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी । जिसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्देश के परिपालन में संबंधित अभ्यर्थियों सहित कुल 12 अभ्यर्थियों को दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए पुन: कारण बताओं नोटिस जारी किये गये तथा अभ्यर्थियों को समय-सीमा में अपने उत्तर समिति के समक्ष रखने हेतु पत्र प्रेषित किए गए ।

समिति द्वारा एस.टी.एफ. से प्राप्त दस्तावेज (कार्यालय सहायक पुलिस महानिरीक्षक एस.टी.एफ., म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक-समनि-2/एस.टी.एफ./340/2015 भोपाल, दिनांक 13.02.2015 के द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों सहित कुल 12 अभ्यर्थियों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई) अभ्यर्थियों से संबंधित मण्डल में उपलब्ध प्रपत्रो तथा अभ्यर्थियों के प्रतिउत्तर का समग्र, सूक्ष्म एवं गहन परीक्षण किया गया, जिसका अभ्यर्थीवार विवरण निम्नानुसार है-

1. **प्रलेख तिवारी, रोल नं. 325660** - अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **14** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन विषय में **16** उत्तर अंकित किये गये थे। परन्तु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा-फेरी करवाकर हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **86** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन विषय में **84** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं । जिसके फलस्वरूप इस अभ्यर्थी की उत्तरशीट में लगे इन कुल **200** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

....2..

2. **सुधीर सिंह गुर्जर, रोल नं. 331727** - अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **12** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन विषय में **12** उत्तर अंकित किये गये थे। परन्तु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरी-फेरी करवाकर हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **88** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन विषय में **88** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं, जिसके फलस्वरूप इस अभ्यर्थी की उत्तरशीट में लगे इन कुल **200** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

3. **ज्योति साहू, रोल नं. 359183** - अभ्यर्थी द्वारा अपना प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है । अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **45** उत्तर तथा सामान्य अध्यन विषय में **32** उत्तर अंकित किये गये थे । परन्तु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा-फेरी करवाकर हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **55** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन विषय में **68** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं । जिसके फलस्वरूप इस अभ्यर्थी की उत्तरशीट में लगे इन कुल **200** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है।

4. **गजेन्द्र सिंह ठाकुर, रोल नं. 357054** - अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **11** उत्तर अंकित किये गये थे । परन्तु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियो/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा-फेरी करवाकर हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **80** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप इस अभ्यर्थी की हिन्दी/अंग्रेजी विषय की उत्तरशीट में लगे इन कुल **91** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है । अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधान कारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

5. **गौरव श्रीवास्तव, रोल नं. 354576** - अभ्यर्थी द्वारा अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **12** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन विषय में **27** उत्तर अंकित किये गये थे । परन्तु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा-फेरी करवाकर हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **88** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन विषय में **73** अतिरिक्त उत्तर अंकित

करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप इस अभ्यर्थी की उत्तरशीट में लगे इन कुल **200** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है ।

6. **संतोष शर्मा, रोल नं. 349040** - अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **20** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन विषय में **10** उत्तर अंकित किये गये थे । परन्तु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा-फेरी करवाकर हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **80** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन विषय में **90** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप इस अभ्यर्थी की उत्तरशीट में लगे इन कुल **200** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है । अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. **हर्षवर्धन सिंह चौहान, रोल नं. 342830** - अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **11** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन विषय में **08** उत्तर अंकित किये गये थे । परन्तु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा-फेरी करवाकर हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **89** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन विषय में **92** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप इस अभ्यर्थी की उत्तरशीट में लगे इन कुल **200** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है । अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. **श्रीकृष्ण सिकरवार, रोल नं. 308913** - अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **07** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन विषय में **21** उत्तर अंकित किये गये थे । परन्तु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा-फेरी करवाकर हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **89** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन विषय में **79** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप इस अभ्यर्थीकी उत्तरशीट में लगे इन कुल **196** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है । अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

.......4..

9. **अभिजीत सिंह पंवार, रोल नं. <u>379921</u>** - अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **<u>10</u>** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन विषय में **<u>18</u>** उत्तर अंकित किये गये थे । परन्तु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा-फेरी करवाकर हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **<u>90</u>** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन विषय में **<u>73</u>** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप इस अभ्यर्थी की उत्तरशीट में लगे इन कुल **<u>191</u>** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है । अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. **श्री कुणाल सिंह राठौर, रोल नं. <u>379595</u>** - अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **<u>45</u>** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन विषय में **<u>45</u>** उत्तर अंकित किये गये थे । परन्तु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा-फेरी करवाकर हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **<u>47</u>** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन विषय में **<u>55</u>** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप इस अभ्यर्थी की उत्तरशीट में लगे इन कुल 192 उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है । अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. **जितेन्द्र सिंह चन्द्रावत, रोल नं. <u>365542</u>** - अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **<u>10</u>** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन विषय में **<u>10</u>** उत्तर अंकित किये गये थे । परन्तु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा-फेरी करवाकर हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **<u>90</u>** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन विषय में **<u>90</u>** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप इस अभ्यर्थी की उत्तरशीट में लगे इन कुल **<u>200</u>** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है । अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

12. **जितेन्द्र सिंह रघुवंशी, रोल नं. <u>324011</u>** - अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **<u>07</u>** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन

.....5..

विषय में **08** उत्तर अंकित किये गये थे । परन्तु इनके द्वारा अवैध रूप से व्यापम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क कर स्कैन डेटा में हेरा-फेरी करवाकर हिन्दी/अंग्रेजी विषय में **93** उत्तर तथा सामान्य अध्ययन विषय में **92** अतिरिक्त उत्तर अंकित करवाये गये हैं। जिसके फलस्वरूप इस अभ्यर्थी की उत्तरशीट में लगे इन कुल **200** उत्तरों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है । अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में किसी भी प्रकार का तथ्यात्मक तथा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उल्लेखित समस्त 12 प्रकरणों की बोर्ड स्तर से जांच की गई। समिति द्वारा संपादित जांच में नियमानुसार तथ्य परिलक्षित हुए-

1. समस्त प्रकरण स्कैन डेटा में हेराफेरी से संबंधित है।

2. समिति द्वारा परीक्षण में पाया गया कि अभ्यर्थियों के मूल स्कैन डेटा में वास्तविक रूप से गड़बड़ी की गई है, और उन्हें प्राप्तांकों में वृद्धि कर गलत तरीके से सफल करवाया गया ।

3. प्रकरणों में यह भी प्रकट होता है कि अभ्यर्थी ने चयन के लिए अनुचित साधन का प्रयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त किया गया ।

4. स्पेशल टॉस्कफोर्स मुख्यालय द्वारा व्यापम से संबंधित अन्य पंजीबद्ध प्रकरणों में विवेचना के दौरान बोर्ड के आरोपी अधिकारियों क्रमशः पंकज त्रिवेदी, तत्कालीन नियंत्रक, नितिन मोहिन्द्रा, तत्कालीन कम्प्यूटर शाखा प्रभारी तथा कर्मचारी चन्द्रकांत मिश्रा, तत्कालीन सहायक प्रोग्रामर द्वारा पूछताछ के दौरान अपने कथनों में उपरोक्त उल्लेखित अभ्यर्थियों को अनुचित तरीके से अवैध लाभ प्रदान करते हुए उत्तीर्ण कराया जाना बताया गया है ।

5. उपरोक्तानुसार तथ्यों से स्पष्ट है कि अभ्यर्थियों का यह कृत्य परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल है, जिसके कारण इन 12 अभ्यर्थियों का बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम त्रुटिपूर्ण एवं दूषित है अतएव नियम पुस्तिका के अध्याय - 2 की कण्डिका 2.12 के अंतर्गत अनुचित साधन (UFM प्रकरण) मान्य करते हुये उल्लेखित समस्त 12 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

नियंत्रक
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड,
भोपाल

.....6..

पृ.क्रमांक-पी.ई.बी./5-प-1/339/2012/**2192**/2016 भोपाल, दिनांक : 30.09.2016

प्रतिलिपि -

1. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
5. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती), पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, स्पेशल टास्क फोर्स, मध्यप्रदेश, 7वीं वाहिनी के बगल में जहांगीराबाद, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7. डिप्टी रजिस्ट्रॉर, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।

Sd/-

नियंत्रक

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड,

भोपाल